प्रेस नोट 06/09/2020

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार का इनामिया शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 06.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ककरिहा रोड भीटी के पास से थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 480/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार का इनामिया समशुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन निवासी दक्षिणटोला मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 480/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कजीटोला तिराहे के पास से जिलाबदर अपराधी आमिर पुत्र समीम निवासी बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 481/20 धारा 10 गुण्डा अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

70 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व अपमिश्रित सामग्री बरामद, 1200 लीटर लहन नष्ट, दो व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.09.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मकदूमपुर ईंट भठ्ठा के पास से सुनील राजभर पुत्र शिवलाल निवासी होलीपुर थाना घोसी व परदेशी उरांव पुत्र नाईन निवासी गुमला झारखंड के कब्जे से 70 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची सामग्री क्रमशः 10 किग्रा यूरिया, दो पैकेट नमक, 250 ग्राम फिटकिरी बरामद कर 1200 लीटर लहन नष्ट किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 739/20 धारा 272,273 भादवि व 60,60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक दुराचारी सहित 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 06.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 490/20 धारा 366,504,506,376 भादवि में वांछित अभियुक्त रामबाबू पुत्र राम नक्षत्र निवासी कोटिया रामपुर थाना मधुबन व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 657/20 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त जनार्दन चौहान पुत्र लालधर निवासी चंदीपुर थाना कोपागंज व मु0अ0सं0 672/20 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र गुलाब निवासी देवधर थाना हलधपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 28 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 06.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा अरविंद, सुदर्शन, सर्वेश्वर व उमेश निवासी डेराघाट, सतेन्द्र निवासी मलेरीकोट, चंदन सिंह

निवासी अमिला थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रामप्यारे राजभर, गब्बर, रामजनम निवासी इटौरा डोरीपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बेचू चौहान, राजेश, राकेश, राजपत निवासी बड़ी कम्हरिया, उपेन्द्र, जितेन्द्र, विशाल, विकास निवासी मुशीपुरा , युवराज निवासी सरायलखंसी, कंचन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मो0 आमिर भीटी थाना सहजनवा गोरखपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सब्बीर अहमद, मोहम्मद निवासी भीरा वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सुनील, संजय, विजयी, राजकुमार निवासीगण फत्तेपुर थाना रानीपुर व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रामजनम निवासी बड़ागांव व अशोक प्रसाद निवासी खानपुर को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से दो दंपति साथ–साथ रहने को हुए राजी, 19 मामलों मे चार का हुआ निस्तारण–

मऊ। महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन और सीओ मधुबन राजकुमार सिंह की देखरेख मे हुई। इस दौरान कुल 19 मामले आए, जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से चार मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें दो दंपतियों ने अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ – साथ रहने को तैयार हो गए। वही पांच मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। तथा आठ मामलों में एक –एक पक्षकार उपस्थित हुए। वही दो मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 20 सितंबर नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से सुनैना और राजमणि तथा बंदना और सुनील ने अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ– साथ रहने को तैयार हो गए। वही रेखा और अश्वनी के मामले में पीड़िता के अनुरोध पर पत्रावली निस्तारित कर दी गई। तथा पूनम तिवारी और देवदत्त तिवारी के मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी गई । वही ज्योति वर्मा और राधेश्याम वर्मा,

प्रियंका और दुर्गा प्रसाद, राजनारायण मिश्र और जागृति मिश्र ,कौशल्या चौहान और मनीष चौहान तथा रीमा और अरविंद के मामले में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही सहाना खातून व मेराज अहमद, मनरावती व राम सोच ,सुनीता और अवधेश, रमेश शर्मा व मनीष शर्मा, अमृता यादव व रामसरीख, प्रियंका व प्रवीण गुप्ता, मोहम्मद यासीन व अकीला खातून तथा रुपेश कुमार और अंजलि के मामले में एक –एक पक्ष उपस्थित हुए । तथा कृष्णावती देवी व सरोज मौर्य ,नसरीन और अब्दुल तलहा के मामले में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते इन मामलों में बैठक की अगली तिथि 20 सितंबर नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया । बैठक में सदस्यगण विनोद कुमार सिंह, अर्चना उपाध्याय, मौलवी अरशद, महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने योगदान किया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक की गई।